

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) पद पर संबंधित विषय हेतु आदेश क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-ओए/6001/चयन/2020-21 दिनांक-23.10.2020 के द्वारा जारी डीपीसी वर्ष 2020-21 में निम्नांकित अभ्यर्थी का चयन उपरांत प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के पद पर वेतन लेवल-12 में पदोन्नति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

| क्रस | स्थाई वरिष्ठता सूची का क्रमांक | वरिष्ठता अवधि | नाम लोक सेवक          | लिंग | जन्मतिथि   | पदस्थापन स्थान              | एम्पलॉए आईडी       | चयन तिथि   | पदोन्नत पदस्थापन स्थान               |
|------|--------------------------------|---------------|-----------------------|------|------------|-----------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------|
| 1    | 6091 0                         | 2011-2012     | DARSHAN KUMAR MENARIA | M    | 27-09-1981 | GSSS AAMLI (223124) UDAIPUR | RJUD20 113700 8909 | 01-04-2020 | GSSS GUDLI (223267) KURABAD, UDAIPUR |

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मि जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी/प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/ वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल commsecedu@yahoo.com पर तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थना पत्र दिनांक **8.12.2021** तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक **8.12.2021** (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में) तक आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेंगे। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक **9.12.2021** तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेवें की जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदोन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं हुई हो। अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को, इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

सत्यमेव जयते

(काना शिम)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/डीपीसी/2020-21/1

दिनांक- 18.11.21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत-

- 1 शासन सचिव-शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
- 5 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
- 6 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होंगे।
- 7 अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
- 8 संबंधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान।
- 9 सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/संस्थापन ए.बी।
- 10 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर